न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
80/2023/प्रा.पत्र/2023	24.07.2023	27.10.2023

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री कैलाश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल निवासी मेहन्दीबाग मोहल्ला शोरगरान सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स मंगल किराणा एण्ड जनरल स्टोर सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक
2–मैसर्स मंगल किराणा एण्ड जनरल स्टोर सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक
3–श्री अजय कुमार सिंह डायरेक्टर मैसर्स अजय लैण्डमार्क प्राईवेट लिमिटेड (स्पाईसेस डिवीजन) जी–95–97, एग्रो फूड पार्क एमआईए अलवर राज.
4–श्रीमति रेखा सिंह डायरेक्टर मैसर्स अजय लैण्डमार्क प्राईवेट लिमिटेड (स्पाईसेस डिवीजन) जी–95–97, एग्रो फूड पार्क एमआईए अलवर राज.
5–श्री विशाल अजय सिंह डायरेक्टर मैसर्स अजय लैण्डमार्क प्राईवेट लिमिटेड (स्पाईसेस डिवीजन) जी–95–97, एग्रो फूड पार्क एमआईए अलवर राज.
6–मैसर्स अजय लैण्डमार्क प्राईवेट लिमिटेड (स्पाईसेस डिवीजन) जी–95–97, एग्रो फूड पार्क एमआईए अलवर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री कैलाश चन्द अग्रवाल व
निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री महेश कुमार शर्मा उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 27.10.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2023 को समय 04:15 पीएम पर मैसर्स मंगल किराणा एण्ड जनरल स्टोर सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री कैलाश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कैलाश चन्द अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक के कट्टे में लगभग 120 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 200–200 ग्राम पैक **धनिया पावडर (सप्तर्षि गोल्ड ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री कैलाश चन्द अग्रवाल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री कैलाश चन्द अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **धनिया पावडर (सप्तर्षि गोल्ड ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर एसी 122 एवं पैकिंग की दिनांक 05.12.22 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 200–200 ग्राम के 12 मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **धनिया पावडर (सप्तर्षि गोल्ड ब्राण्ड)** 12 मूल पैक 4 मूल पैक के ज्यों का त्यों अलग–अलग कगज के गत्ते के चार डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे में 3–3 पैक रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3467, दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3467 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री कैलाश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स अजय लैण्डमार्क प्राईवेट लिमिटेड (स्पाईसेस डिवीजन) जी–95–97, एग्रो फूड पार्क एमआईए अलवर राज. का खरीद बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/635 दिनांक 15.03.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस. /337/एक्ट/2023/443 दिनांक 23.02.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **धनिया पावडर (सप्तर्षि गोल्ड ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** के अनुसार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मिथ्याछाप **(Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 श्री कैलाश चन्द अग्रवाल तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 6 (निर्माता फर्म) की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री महेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर आवश्यक जानकारियां अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **धनिया पावडर (सप्तर्षि गोल्ड ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी, निर्माता फर्म के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **धनिया पावडर (सप्तर्षि गोल्ड ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.10.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0